

२। प्रारूप-२

भाग-१ (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गरे जाने के लिए)

परियोजना का विवरण : विधानसभा गंगोलीहाट में लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाघार धरमोली घांघल से सुकना मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी0 में पड़ने वाली 0.81हेठली वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना - विधानसभा गंगोलीहाट में लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाघार धरमोली घांघल से सुकना मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 5.00किमी0

- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वर्णों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। संलग्न है।
- ग) परियोजना की लागत। रु० 32.00 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। एक मात्र नजदीकी समरेखण है।
- ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) लागू नहीं
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार में ला पायेगा।


2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

आरक्षित वनभूमि	0.000	है०
राज्य वनभूमि	0.810	है०
वन पंचायत भूमि	0.000	है०
नापभूमि	3.690	है०
योग	4.500	है०

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

- क) परिवारों की संख्या नहीं
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या नहीं
- ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) नहीं
- 3. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) नहीं
- 4. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) संलग्न है।
- 5. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रगाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। संलग्न है।

दिनांक २१/६/२०२१ स्थान बेरीनाग


प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
बांधकाली बांधयन्ता
नाम माहर
बस्ताई बांध, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिंडीबांध)

भाग-२ (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति:- विधानसभा गंगोलीहाट में लिंक गार्फ़ से बानड़ी से चकाघार घरगोली घांघल से सुकना गोटर गार्फ़ का निर्माण लम्बाई 5.00 किमी में पड़ने वाली 0.81 हेक्टेएर वनभूमि का लोनिविं को हस्तान्तरण ।

- (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड
- (ii) जिला पिथौरागढ़
- (iii) जिला वन प्रभाग पिथौरागढ़

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र ०.४१ हेक्टेएर

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:- संलग्न है,

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:- चीड़, उत्तीर्ण, काढ़ाल, तुंग
(i) वन का प्रकार शैतान भूमि ०.४१ हेक्टेएर
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व ०.२

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणना - संलग्न है,

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - संलग्न है,

19. गूष्ठण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण - संभावना है

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृश्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा : नहीं है

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा : संलग्न है,

(ii) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं है

(iii) क्या किसी राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं है

(iv) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं है

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो नहीं उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे) संलग्न है,

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। संलग्न है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। संलग्न है,

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) ✓

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) ✓

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : ज्ञान नहीं 100 वृक्षों के वृक्षरोपण की स्थिति संलग्न है।

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति।

(ii) अवरिथति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। ज्ञान नहीं

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। नहीं

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। ज्ञान नहीं

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : ज्ञान नहीं

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारिशों

28. क्या स्थल, जहाँ अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारिशों

संलग्न है
संलग्न है

स्थान:

तारीख:

वन संशोधिकारी
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़ दन प्रभाग

लिखा गया

हस्ताक्षर नाम
प्रभाग अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़